डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 4506/21-अ/प्रा./2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर 23 अगस्त, 2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधयेक, 2001

[छत्तीसगढ़] विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहलाएगा.

विस्तार तथा प्रारंभ.

2. यह संशोधन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नई धारा 4-ख तथा 4-ग का प्रतिस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"**4-ख अर्दली भत्ता :**—प्रत्येक सदस्य को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अर्दली भत्ता दिया जाएगा.

4-ग दैनिक भत्ता :—प्रत्येक सदस्य को तीन सौ रुपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा."

धारा 5-क का लोप और नई धारा का प्रतिस्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5-क को विलोपित किया जाय और निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाय :—

"**5-क वायुयान और रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन :**—(1) प्रत्येक सदस्य, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाय, भारतवर्ष के भीतर नि:शुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा और रेल यात्रा के संबंध में उसे कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपरोक्त यात्रा पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान पचहत्तर हजार रुपये से अधिक का व्यय नहीं होगा,

परन्तु, प्रत्येक सदस्य केवल तीन, आने-जाने की हवाई यात्रा का हकदार होगा.

परन्तु, यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा.

परन्तु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिये सदस्यों द्वारा की गई यात्रायें इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी,

(2) धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु चालीस हजार रुपये मूल्य के कूपन की पात्रता होगी."

धारा 5-ख का विलोपन.

5. मूल अधिनियम की धारा 5-ख को विलोपित किया जाय.

धारा-6 का विलोपन और नवीन धारा का प्रतिस्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 6 समाप्त की जाय और निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाय :—

"**धारा 6-यात्रा भत्ता** :—प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए जो कि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपने प्राथमिक निवास-स्थान से उस स्थान तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाना है और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास-स्थान की वापसी यात्रा के लिए, ऐसी दरों से जो कि विहित की जाएं, यात्रा भत्ता दिया जाएगा."

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 4641/362/21-अ/(प्रारूपण)/2001.—छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2001, जिस पर दिनांक 11 अगस्त, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972)को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का प्रतिस्थापन. 2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 4 का विलोपन किया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाय :

4 (1) मुख्यमंत्री को छ: सौ पच्यासी रुपये प्रतिदिन, मंत्री को छ: सौ रुपये प्रतिदिन, राज्य मंत्री को पांच सौ पचास रुपये प्रतिदिन, उप मंत्री को पांच सौ रुपये प्रतिदिन तथा संसदीय सचिव को चार सौ पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

4 (2) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव को तीन हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 4641/362/21-अ/(प्रारूपण)/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 20 of 2001)

THE CHHATTISGARH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) VIDEYAK, 2001 (No. 20 OF 2001)

An Act to amend the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Second Year of the Republic of India as follows :—

Title, extent and commencement.

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 20 of 2001).

(ii) It shall extend to the whole of Chhattisgarh.

(iii) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

Substitution of Section 4.

2. Section 4 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) shall be deleted and substituted by the following :—

4 (1) There shall be paid to Chief Minister Six hundred eighty five Rupees per day, Minister Six hundred Rupees per day, Minister of State Five hundred fifty Rupees per day, Deputy Minister Five hundred Rupees per day and Parliamentary Secretary Four hundred fifty Rupees per day as Daily Allowances during the term of their office.

4 (2) There shall be paid to each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a constituency Allowance of three thousand rupees per mensem.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-ब] रायपुर, शनिवार , दिनांक 1सितम्बर 2001—भाद्र 10, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1882/एफ-10/324/2001/वाक/पांच (45).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त उपधारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1797 एफ-10/324/2001/वाक/पांच (44), दिनांक 27-8-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में

भाग-तीन की प्रविष्टि क्रमांक 54 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात्

55 अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी प्रकार की गैस जिसमें लिक्विीफाइड गैस शामिल है. 12

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 1883/एफ-10/324/2001/वाक/पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1882/एफ-10/324/2001/वाक/पांच (45), रायपुर दिनांक 1-9-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 1st September 2001

NOTIFICATION

No. 1882/F-10/324/2001/CT/V (45).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 16 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in schedule II of the said Adhiniyam, the same having been previously published in Chhattisgarh Gazette vide this Department Notification No. 1797/F-10/324/2001/CT/V (44), dated 27-8-2001 as required by the proviso of the said Sub-section namely :—

AMENDMENT

In the Schedule II of the said Adhiniyam :—

In part III, after serial number 54, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

55	All kinds of gases including liquified gases except those specified elsewhere in the schedule	12

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1884/एफ-10/324/2001/वाक/पांच (46).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को दिनांक 1 सितंबर 2001 से विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. अधिसूचना क्रमांक ए-3-10-2000-विक/पांच (53), दिनांक 26 जुलाई, 2000.
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-10/153/2001-वाक/पांच (24), दिनांक 4 जून 2001

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 1st September 2001

NOTIFICATION

No.1884/F-10/324/2001/CT/V (46).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby rescind the following notification of this department with effect from 1 September 2001 namely :—

1. Notification No. A-3-10-2000-ST- V (53), dated 26th July, 2000.

2. Notification No. F-10/153/2001-CT-V (24), dated 4th June, 2001

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-स] रायपुर, शनिवार , दिनांक 1 सितम्बर 2001—भाद्र 10, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 4633/21-अ (प्रा.)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

"शैक्षणिक संस्थाओं के प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश 2001

(क्रमांक 10 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अध्यादेश.

भारत के गणतंत्र के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित.

चूंकि राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थिति है जिसमें त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है;

अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की कंडिका (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "रैगिंग" से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो.

(ख) "शैक्षणिक संस्था" में शासकीय, स्वशासी एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें शामिल है.

रैगिंग का प्रतिषेध.

3. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा.

दण्ड.

4. यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा.

संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय.

5. इस अध्यादेश के संज्ञान किये जाने योग्य प्रत्येक अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय होगा.

अपराधों का विचारण.

6. (1) इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा किया जाएगा.

(2) इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबन्ध लागू होंगे.

7. (1) इस अध्यादेश के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था का प्रधान इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावासों में प्रवेश से वर्जित कर सकेगा. **छात्र के निष्कासन के लिए नियोग्यता.**

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो इस अध्यादेश के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन का भागी होगा.

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्यं कोई व्यक्ति जो इस अध्यादेश के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी भी शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 2001 **छत्तीसगढ़ के राज्यपाल**

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 4633/21-अ (प्रा.)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHYADESH
(No. 10 of 2001)

THE CHHATTISGARH SHAIKSHANIK SANSTHAON ME PRATARNA (RAGGING) KA PRATISHEDH ADHYADESH, 2001

An Adhyadesh to prevent ragging in educations institutions in the State and for matters connnected there with and incidental thereto.

Pramulgated by the Governor in the Fifty second year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Adhyadesh :—

1. (1) This Adhyadesh may be called the Chhattisgarh Shaikshanik Sansthaon me Pratarna Ka Pratisedh Adhyadesh 2001 (No. 10 of 2001). **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government, may by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Adhyadesh, unless the context otherwise requires —

(a) "ragging" means causing, inducing compelling or forcing a student, whether by way of a practical joke or otherwise, to do any act which detracts from human dignity or violates his person or exposes him to ridicule or prevents him from doing any lawful act, by intimidating, wrongfully restraining, wrongfully confining, or injuring him or by using criminal force on him, or by holding out to him any threat of wrongful restraint, wrongful confinement, injury or the use of criminal force.

(b) "educational institutions" means any Government, autonomus or non Government educational institution.

Prohibition of ragging.

3. No student or an educational institution shall either directly or indirectly commit or take part in ragging.

Punishment.

4. Any person who contravenes the provisions of section 3 shall be punished with imprisonment of either description which may extend up to five years or with fine which may be up to five thousand rupees or with both.

Offence to be congnizable non-bailable.

5. Every offence under this Adhyadesh shall be congnizable, non-bailable.

Trial of offence.

6. (1) Every offence punishable under this Adhyadesh shall be tried by a judicial Magistrate of first class.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall apply to investigation inquiry and trial of the offences under this Adhyadesh.

Disqualification for remaining as student.

7. (1) Pending investigation or trial of an offence under this Adhyadesh, the head of the educational institution may suspend a student accused of an offence under this Adhyadesh and debar him from entry into premises of the educational institution and its hostels.

(2) A student of an educational institution who has been convicted under this Adhyadesh shall be liable to rustication from the educational institution.

(3) A student who has been rusticated or any other person who has been convicted under this Adhyadesh shall not be admitted to any educational institution for a period of three years.

Raipur, dated the 2001

Governor of Chhattisgarh

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-द] रायपुर, शुक्रवार ,दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9 शक 1923

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 1/संसदीय कार्य विभाग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क एवं 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 3 को विलोपित किया जाय और नया खण्ड 3 ''अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सैट दिये जायेंगे जो उसे तथा उसके साथ चल रहे किसी व्यक्ति को भारत वर्ष के भीतर रेल द्वारा निःशुल्क 40,000 (चालीस हजार रुपये) मूल्य के बराबर यात्रा का हकदार बनाते हैं'' स्थापित किया जाये.

(2) नियम 4 (1) में उल्लेखित शब्द ''मध्य रेल्वे, बम्बई'' विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर ''दक्षिण पूर्व रेल्वे, हावड़ा'' स्थापित किया जाए.

(3) नियम 4 (2) में उल्लेखित शब्द ''मध्य रेल्वे, बम्बई'' विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर ''दक्षिण पूर्व रेल्वे, हावड़ा'' स्थापित किया जाए.

(4) नियम 5 (1) में धन मूल्य कूपनों का जो वर्णन उल्लेखित है उसे विलोपित किया जाय एवं उसके स्थान पर निम्नानुसार :—

(1)	8 कूपन प्रत्येक 100 रुपये का	800.00
	12 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	600.00
	12 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
	रुपये	2000.00
(2)	8 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 15 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
	रुपये	1000.00
(3)	4 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	200.00
	8 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	200.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
	रुपये	500.00

स्थापित किया जाय.

(5) नियम 7 में प्रमाणपत्र का जो प्रारूप उल्लेखित है उसे विलोपित किया जाए और नया प्रारूप "मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कु. ....छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य/सदस्या हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर हेतु प्रतिवर्ष केवल रुपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार) मूल्य तक उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए तथा इनके साथ चलने वाले एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए रेल यात्रा कूपनों के बदले प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान द्वितीय श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी शयनयान के टिकट दिए जाएं".

सदस्य के हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा
मुहर.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(6) नियम 9 (1) (क) को विलोपित किया जाय एवं उसके स्थान पर "प्रत्येक सदस्य को एक समय में रुपये 5,000 (रुपये पांच हजार) धन मूल्य की कूपन पुस्तकें जारी की जायेगी" स्थापित किया जाय.

(7) नियम 9 (1) (ग) विलोपित किया जावे.

(8) नियम 11 (उप नियम एक, दो एवं तीन) विलोपित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 1/संसदीय कार्य विभाग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31 अगस्त 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

Raipur, the 31st August 2001

No. 1/Parliamentary Affairs Deptt./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 5-A and 9 (1) of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, Vetan, Bhatta Tatha Pension, Act, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government for the Chhattisgarh State hereby amend the Chhattisgarh Lagislative Assembly Ex-Members (Free Transit by Railway) Rule, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the above rule :—

(1) Rule 3 shall be omitted and new clause-3 "Subject to the provisions of the Act and these rules, every Ex-members shall be provided by the Secretary with sets of coupon books, which shall entitle him and any person accompanying him

to travel within India by Rail value upto rupees 40,000/- (Rs. forty thousnad)" shall be substituted.

(2) In the rule 4 (1) words "Central Railway Bombay" shall be omitted and "South Eastern Railway Howarah" shall be substituted.

(3) In the rule 4 (2) words "Central Railway Bombay" shall be omitted and "South Eastern Railway Howarah" shall be substituted.

(4) In the rule 5 (1) description of money value coupon books shall be omitted and following :—

(1)	8 Coupons of Rs. 100 each	Rs.	800.00
	12 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	600.00
	12 Coupons of Rs. 25 each	Rs.	300.00
	20 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	200.00
	15 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	80.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	2000.00
(2)	8 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	400.00
	12 Coupons of Rs. 15 each	Rs.	300.00
	20 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	200.00
	16 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	80.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	1000.00
(3)	4 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	200.00
	8 Coupons of Rs. 25 each	Rs.	200.00
	4 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	40.00
	8 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	40 00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	500.00

Shall bc substituted.

(5) Certificate explains in the rule 7 shall be omitted and following "I hereby certify that Shri/ShrimatiKumari............ ....is the Ex-member of the Chhattisgarh Legislative Assembly, and First Class/Air Condition, Sleeper, Second Class/Air Condition Sleeper three tier/Second Class Sleeper tickets may be issued in exchange of the rail travelling coupon for the journey to be under taken by him/her and for the journey under taken by one person accompanying him/her within the State of Chhattisgarh and outside the State of Chhattisgarh only to the extent of Rs. 40,000/- (Rs. forty thousand) per year.

Signature of Ex-Member

Attested

Secretary to the
Chhattisgarh Legislative Assembly
Seal.

Secretary to the
Chhattisgarh Legislative Assembly

(6) Rule 9 (1) (a) shall be omitted and "Coupon book shall be issued at a time to member valued Rs. 5,000/- (Rs. five thousand)" shall be substituted.

(7) Rule 9 (1) (b) shall be omitted.

(8) Rule 11 (1, 2, 3) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-इ] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 2/संसदीय कार्य विभाग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम 1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 3 (1-कक) विलोपित किया जाय.

(2) नियम 3 (1-ककक) में उल्लेखित शब्द "5-ख की उपधारा 2" को विलोपित किया जाए एवं उसके स्थान पर "5-क" अन्तः स्थापित किया जाय.

(3) नियम 3 (1-ककक) का प्रथम परन्तुक विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर नया परन्तुक "परन्तु किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी सदस्य द्वारा अधिनियम की धारा 5-क के अधीन रेल द्वारा एवं वायुयान द्वारा एक वित्तीय वर्ष में की गई तीन जाने आने की यात्राओं पर किया गया कुल व्यय रुपये पचहत्तर हजार से अधिक नहीं होगा" स्थापित किया जाय.

(4) नियम 3 (1-ककक) (तीन) में उल्लेखित शब्द "5-ख की उपधारा 2" को विलोपित किया जाए एवं उसके स्थान पर "5-क" अन्तः स्थापित किया जाय.

(5) नियम 3 (1 ख) विलोपित किया जाए.

(6) नियम 3 (1 ग) विलोपित किया जाए.

(7) नियम 3 (2) विलोपित किया जाए.

(8) नियम 3 (3) में उल्लेखित शब्द "तथा ऐसे स्थान पर ठहरने के लिए दो सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता" को विलोपित किया जाए.

(9) नियम 3 (3) का परन्तुक विलोपित किया जाए.

(10) नियम 4 (1) एवं उसके उपखंड क एवं ख विलोपित किया जाए.

(11) नियम 4 (2) विलोपित किया जाए.

(12) नियम 5 (1) विलोपित किया जाए.

(13) नियम 5 (2) में "और यदि वह सम्मिलन के स्थान पर ठहरता है, तो ठहरने के समस्त दिनों में से 7 से अनाधिक दिनों के लिए दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा" विलोपित किया जाए.

(14) नियम 5 (4) विलोपित किया जाए.

(15) नियम 8 (1) में उल्लेखित "दैनिक भत्ता" शब्द विलोपित किया जाए.

(16) नियम 8 (3) में उल्लेखित "और दैनिक" शब्द विलोपित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 2/संसदीय कार्य विभाग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31 अगस्त, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

Raipur, the 31st August 2001

No. 2/Parliamentary Affairs Dept./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Vetan, Bhatta Tatha Pension Act, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government for the Chhattisgarh State hereby amend the Vidhan Mandal Yatra Bhatta Rule, 1957, namely :—

AMENDMENT

In the above rule :—

(1) Rule 3 (1-AA), shall be omitted.

(2) In the Rule-3 (1-AAA) words "sub-section 2 of section 5-B" shall be omitted and "5-A" shall be substituted.

(3) First proviso of Rule 3 (1-AAA) shall be omitted and following proviso shall be substituted; "Provided that the total expenditure on a journey performed by a members by rail and the three journey performed by air, under Section 5-A shall not exceed the amount Rupees Seventy Five Thousand in a financial year."

(4) In the Rule 3 (1-AAA) (iii) words "Sub-section 2 of Secion 5-B" shall be omitted and "5-A" shall be substituted.

(5) Rule 3 (1 B) shall be omitted.

(6) Rule 3 (1 C) shall be omitted.

(7) Rule 3 (2) shall be omitted.

(8) In the Rule 3 (3) words "and he shall also be entitled to daily allowance at the rate of Rupees (two) hundred per day for staying at such place" shall be omitted.

(9) Proviso of Rule 3 (3) shall be omitted.

(10) Rule 4 (1) and sub-clause (a) (b) shall be omitted.

(11) Rule 4 (2) shall be omitted.

(12) Rule 5 (1) shall be omitted.

(13) In the Rule 5 (2) words "and if he stays at the place of the meeting, he shall be entitled to daily allowance for all days of halt not exceeding seven" shall be omitted.

(14) Rule 5 (4) shall be omitted.

(15) In the Rule 8 (1) word "or daily allowance" shall be omitted.

(16) In the Rule 8 (3) word "and daily allowance" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189-फ] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 3/संसदीय कार्य विभाग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क एवं 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 3 को विलोपित किया जाय और नया खण्ड 3 "अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सैट दिये जायेंगे जो उसे तथा उसके साथ चल रहे किसी व्यक्ति को भारत वर्ष के भीतर रेल द्वारा निःशुल्क 75,000 (पचहत्तर हजार रुपये) मूल्य के बराबर यात्रा का हकदार बनाते हैं" स्थापित किया जाये.

(2) नियम 4 (1) में उल्लेखित शब्द "मध्य रेल्वे, बम्बई" विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर "दक्षिण पूर्व रेल्वे, हावड़ा" स्थापित किया जाए.

(3) नियम 4 (2) में उल्लेखित शब्द "मध्य रेल्वे, बम्बई" विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर दक्षिण पूर्व रेल्वे, हावड़ा" स्थापित किया जाए.

(4) नियम 5 (1) में धन मूल्य कूपनों का जो वर्णन उल्लेखित है उसे विलोपित किया जाय एवं उसके स्थान पर निम्नानुसार :—

(1)	8 कूपन प्रत्येक 100 रुपये का	800.00
	12 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	600.00
	12 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
	रुपये	2000.00
(2)	8 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 15 रुपये का	300.00
	20 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	200.00
	16 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	80.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
	रुपये	1000.00
(3)	4 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	200.00
	8 कूपन प्रत्येक 25 रुपये का	200.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रुपये का	20.00
	रुपये	500.00

स्थापित किया जाय.

(5) नियम 7 में प्रमाणपत्र का जो प्रारूप उल्लेखित है उसे विलोपित किया जाए और नया प्रारूप "मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कु. ....छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य/सदस्या हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर हेतु प्रतिवर्ष केवल रुपये 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार) मूल्य तक उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए तथा इनके साथ चलने वाले एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए रेल यात्रा कूपनों के बदले प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान द्वितीय श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी शयनयान के टिकट दिए जाएं".

सदस्य के हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा
मुहर.

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

(6) नियम 9 (1) (क) को विलोपित किया जाय एवं उसके स्थान पर "प्रत्येक सदस्य को एक समय में रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) धन मूल्य की कूपन पुस्तकें जारी की जायेगी" स्थापित किया जाय.

(7) नियम 9 (1) (ग) विलोपित किया जावे.

(8) नियम 11 (उप नियम एक, दो एवं तीन) विलोपित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 3/संसदीय कार्य विभाग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31 अगस्त, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

Raipur, the 31st August 2001

No. 3/Parliamentary Affairs Deptt./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 5-A and 9 (1) of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, Vetan, Bhatta Tatha Pension, Act, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government for the Chhattisgarh State hereby amend the Chhattisgarh Lagislative Assembly Members (Free Transit by Railway) Rule, 1978, namely :—

AMENDMENT

In the above rule :—

(1) Rule 3 shall be omitted and new class-3 "Subject to the provisions of the Act and these rules, every members shall be provided by the Secretary with sets of coupon books, which shall entitle him and any person accompanying him

to travel within India by Rail value upto rupees Rs. 75,000/- (Rs. Seventy five thousnad)" shall be substituted.

(2) In the rule 4 (1) words "Central Railway Bombay" shall be omitted and "South Eastern Railway Howarah" shall be substituted.

(3) In the rule 4 (2) words "Central Railway Bombay" shall be omitted and "South Eastern Railway Howarah" shall be substituted.

(4) In the rule 5 (1) description of money value coupon books shall be omitted and following :—

(1)	8 Coupons of Rs. 100 each	Rs.	800.00
	12 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	600.00
	12 Coupons of Rs. 25 each	Rs.	300.00
	20 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	200.00
	16 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	80.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	2000.00
(2)	8 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	400.00
	12 Coupons of Rs. 15 each	Rs.	300.00
	20 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	200.00
	16 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	80.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	1000.00
(3)	4 Coupons of Rs. 50 each	Rs.	200.00
	8 Coupons of 25 each	Rs.	200.00
	4 Coupons of Rs. 10 each	Rs.	40.00
	8 Coupons of Rs. 5 each	Rs.	40.00
	20 Coupons of Rs. 1 each	Rs.	20.00
		Rs.	500.00

Shall be substituted.

(5) Certificate explains in the rule 7 shall be omitted and following "I hereby certify that Shri/Shrimati/Kumari........... ....is the member of the Chhattisgarh Legislative Assembly, and First Class/Air Condition, Sleeper, Second Class/Air Condition Sleeper three tier/Second Class Sleeper tickets may be issued in exchange of the rail travelling coupon for the journey to be under taken by him/her and for the journey under taken by one person accompanying him/her within the State of Chhattisgarh and outside the State of Chhattisgarh only to the extent of Rs. 75,000/- (Rs. Seventy five thousand) per year."

Signature of Member

Attested

Secretary to the
Chhattisgarh Legislative Assembly
Seal.

Secretary to the
Chhattisgarh Legislative Assembly

(6) Rule 9 (1) (a) shall be omitted and "Coupon book shall be issued at a time to member valued Rs. 10,000/- (Rs. ten thousand)" shall be substituted.

(7) Rule 9 (1) (b) shall be omitted.

(8) Rule 11 (1, 2, 3) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.